UPBL010007242026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।

पीठासीन अधिकारी. रामकृपाल (उच्चतर न्यायिक सेवा), जे0ओ0 कोड– उ0प्र0– 02759

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–297/2026

अवधेश वर्मा उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र रमाशंकर वर्मा, साकिन शाहपुर तेलमा, थाना उभॉव, जिला बलिया

...........आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी

अपराध संख्या–3/2021

धारा–135 विद्युत अधिनियम

थाना–एन्टी पावर थेफ्ट , जिला–बलिया।

<u>दिनांक–09–03–2026</u>

1. आवेदक/अभियुक्त अवधेश वर्मा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–297/2026, मु0अ0सं0–3/2021, धारा–135 विद्युत अधिनियम थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला बलिया में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 03–01–2021 को समय 13.45 बजे अवर अभियन्ता जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने सहयोगी टीम के साथ अवैध कटिया कनेक्शन रोकने एवं विद्युत बकाया वसूली के दौरान अवधेश वर्मा (प्रार्थी/अभियुक्त) के परिसर को चेक किया गया तो यह पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा मीटर के पहले इन्कमिंग केबिल को काटकर मीटर बाई–पास करके विद्युत चोरी करते हुए पाया गया ।

3. जमानत प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा यह आधार लिया गया है कि आवेदक निर्दोष है । आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है । आवेदक को बार–बार पुलिस बुला रही है तथा घर आकर दविश दे रही है जिसके कारण आवेदक मानसिक रूप से परेशान है तथा आवेदक को पुलिस गिरफ्तार कर मान सम्मान को क्षति पहुँचा सकती है। आवेदक से विद्युत विभाग के कर्मियों से अवैध रूप से रूपये मांगे गये और न देने पर उसे झूँठे मुकदमें में फंसा दिया गया है । आवेदक वृद्ध व्यक्ति है । उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक विद्युत अधिनियम द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है, अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक विद्युत अधिनियम को सुना एवं संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियुक्त पर अपने विद्युत मीटर से पहले केविल काटकर विद्युत का चोरी से प्रयोग किये जाने का आरोप है। अभियुक्त 60 वर्षीय वृद्ध बताया गया है जो विद्युत का कनेक्शनधारी है। सम्बन्धित अपराध में अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्राविधान है ।

7. मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों में, गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये, न्यायालय के मत में अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by RAMKRIPAL
Date: 2026.03.09 17:43:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अवधेश वर्मा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–297/2026, मु0 अ0 सं0–03/2021, धारा–135 विद्युत अधिनियम थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला बलिया में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है:–

1– आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/–(बीस हजार) रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करेगा ।

2– अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा, तथा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

4– अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

5– अभियुक्त विद्युत विभाग का समस्त राजस्व व शमन शुल्क एक माह के अन्दर जमा करके न्यायालय को सूचित करेगा ।

अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तो का उल्लंघन करने पर, उसका अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा सकता है।

(रामकृपाल)

दिनांक–09–03–2026

विशेष न्यायाधीश (आ0 व0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलिया

मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव–स्टेनो